

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना सं. 21/2017- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क**

नई दिल्ली, तारीख 18 जुलाई, 2017

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1), अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएँ) अधिनियम 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ऐसी अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड(i) में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी साकनि सं. द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	साकानि सं.
(1)	(2)	(3)
1.	56/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14-11-2002	764(अ) तारीख 14-11-2002
2.	57/2002-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14-11-2002	765(अ) तारीख 14-11-2002
3.	49/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10-6-2003	471(अ) तारीख 10-6-2003
4.	50/2003-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10-6-2003	472(अ) तारीख 10-6-2003
5.	20/2007-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25-4-2007	307(अ) तारीख 25-4-2007
6.	1/2010-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6-2-2010	62(अ) तारीख 6-2-2010

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार